मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग आदेश

भोपाल, दिनाक 26.04.2016

क्रमांक /21-अ(रथा.), प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से इस विभाग द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्र. 6606/21-अ(रथा.)/2015 दिनांक 20.10.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त आदेश की कण्डिका क्र. 5 में श्री अमिताभ मिश्रा, अपर सचिव, विधि को आवंटित सिविल एवं याचिका शाखा से संबंधित समस्त कार्य श्री शरत चन्द्र सक्सेना, अपर सचिव, विधि को तत्काल प्रभाव से सौंपा जाता है। श्री शरत चन्द्र सक्सेना, अपर सचिव, विधि की अनुपस्थित में उक्त शाखाओं का कार्य श्री अमिताभ मिश्रा, अपर सचिव, विधि द्वारा निष्पादित किया जावेगा तथा श्री मिश्रा की अनुपस्थित में उक्त कार्य श्री राजेश यादव, अपर सचिव, विधि द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

हिस्ता /--(विरेन्दर सिंह) प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग दिनांक 26 04 / 2016

पृ. क्रमांक 62/21—अ(रश्मा.), प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, विधि के स्टाफ ऑफिसर,

- 2. समस्त सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव,
- 3. श्री अमिताभ मिश्रा, अतिरिक्त सचिव, विधि,
- 4. श्री शरत चन्द्र सक्सेना, अपर सचिव, विधि,
- 5. समस्त अनुभाग / प्रकोष्ठ, विधि विभाग,
- 6. आई.टी. प्रकोष्ट को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

" (आर.के. चाणा) ^{261 पा 1}के संविव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग